11/5/18 पत्रावली विचार करते उपस्थित मे लिया गया

प्रतिवादीगण मय वकील के हाजीर प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध मे वाद स्वीकार योग्य है

प्रार्थना पत्र को आगे चलाना उचित नही समझते है ऐसे प्रार्थना पत्र का वाद स्वीकार योग्य प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है पीठासीन अधिकारी के कार्य होकर मूल वाद के साथ जलमग्न की

पीठासीन अधिकारी मेजरिटी मे दि 5/6/18 को

सुनाया गया

भूमिधर अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official